

**कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय नवीन महाविद्यालय चन्द्रपुर, जिला- सक्ती (छ.ग.)**

क्रमांक 285/अ.व्या./2025

चन्द्रपुर, दिनांक 24.10.2025

//अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन//

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर के विभागीय ज्ञापन क्रमांक एफ 3-54 /स्था. 2020/38-1 20.06.2024 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 तथा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रं. 289/01/आउशि/राज.स्था./2025 नवा रायपुर, अटलनगर दिनांक 23.07.2025 एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रं. File no.: ESTB- 1027/1216/2025/ 38-1 नवा रायपुर, अटलनगर दिनांक 23.07.2025 के अनुसार शासकीय नवीन महाविद्यालय चन्द्रपुर जिला-सक्ती में विषय रसायन शास्त्र में अध्यापन हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 04.11.2025 को सायं 05:00 तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

1. अतिथि व्याख्याताओं को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. **आयु सीमा :-** अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय / पद का विवरण :-


क्रं	विषय	रिक्त पद एवं संख्या
		सहायक प्राध्यापक
01	रसायन शास्त्र	01

टीप :- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति / नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्त :-

4. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10 वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल/पी.एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5. दिनांक 04.11.2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाइन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में ऑनलाइन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाइन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभावित होगा।
6. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
7. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 06.11.2025 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जावेगा।
8. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 07.11.2025 तक होगी।
9. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 08.11.2025 को किया जावेगा। जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा सूचना पटल में किया जावेगा।

10. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस अथवा न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोष जनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
11. आवेदन उपरान्त संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
12. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
13. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार मानदेय दिया जायेगा।
14. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय चन्द्रपुर, ग्राम – गोपालपुर, जिला– सक्ती (छ.ग.) 495692 एवं आवेदित विषय रसायन शास्त्र आवश्यक रूप से लिखें।
15. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किये गये अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलाएंगे।
16. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
17. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
18. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
19. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी। तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।



प्राचार्य 24/10/25

शासकीय नवीन महाविद्यालय चन्द्रपुर
जिला- सक्ती (छ.ग.)
District-Sakti (C.G.)